

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़)

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

कमांक ३८१५.../दो-११-१२/२०१५

रायपुर, दिनांक २५.../०७/२०२६

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि – 25.07.2026 प्रात 11:00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 17.08.2026 तक के संध्या 5.00 बजे तक

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 एवं सहायक ग्रेड-तीन कर्मचारी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का विवरण

क	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
2	सहायक ग्रेड-3 (निष्पादन लिपिक-22, साक्ष्य लेखक-29 आदेशिका लेखक-27 = 78)	78	8	4	1	1	1	—	—	—	5	1	—	—	31	17	5	4
	योग	81	8	4	1	1	1	—	—	—	5	1	—	—	34	17	5	4

महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- महिलाओं को नियमानुसार होरिजॉन्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणीत नहीं किये जावेंगे अपितु उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे।
- मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक, जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किये जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।
- महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो।
- ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें उनके संबंधित वर्ग में अन्य अभ्यर्थियों माना जाएगा।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें**(1) हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (मैट्रिक्स लेवल-07, वेतनमान 28700-91300)****शैक्षणिक योग्यता-**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण तथा;
2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान होना चाहिए।
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए।
5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली)/का ज्ञान होना चाहिए।

(3) सहायक ग्रेड-तीन संवर्ग (मैट्रिक्स लेवल-04, वेतनमान 19500-62000)**शैक्षणिक योग्यता-**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा;
2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स तथा;
3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली)/का ज्ञान होना चाहिए।

टीप:- 1. भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद उस संवर्ग से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, रायपुर से अनुमति प्राप्त होने की दशा में उसी संवर्ग के पुरुष/महिला उम्मीदवार का चयन किया जावेगा।

-: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-**(1) आयु सीमा -**

प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

छ.ग. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

महत्वपूर्ण टीप-

1. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिये गये निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गयी 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट [विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-किमिलेयर), नि : अक्तजन, भूतपूर्व सैनिक] स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।
3. आयु की गणना दिनांक-01.01.2026 के संदर्भ में की जाएगी।

(2) अन्य शर्तें –

- (1) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
- (2) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
- (3) चयनित उम्मीदवारों को रायपुर जिले के बाह्य न्यायालयों में नियुक्त किया जा सकेगा।
- (4) चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दण्डक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
- (5) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (6) आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
- (7) जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (8) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (9) कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (10) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2026 की संध्या 5.00 बजे तक ही बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 अथवा सहायक ग्रेड-3 लिखा हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0) के कार्यालय में रखे बॉक्स के माध्यम से ही प्राप्त किए जायेंगे। बॉक्स में प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (2) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के शासकीय वेबसाइट <https://raipur.dcourts.gov.in> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
- (3) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है

जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-तीन । अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पद का नाम लिखे जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन रखे जाने पर भी आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

- (4) आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ चस्पा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (5) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- (6) आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण रूप से भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 एवं सहायक ग्रेड-3 के आवेदित पदों के लिये दो चरणों में परीक्षा आयोजित की जावेगी। वर्गवार आवेदित पद की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आवेदित पद के न्यूनतम भौक्षणिक योग्यता (स्नातक) में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम पात्र सूची तैयार की जाकर उक्त सूची जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में उक्त सूची प्रकाशन से सात दिवस के अंदर जिला न्यायालय कार्यालय में चयन समिति को संबोधित करते हुए आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। दावा आपत्ति निराकरण उपरांत परीक्षा हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।

प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिक एवं कम्प्यूटर आदि विषयों से संबंधित होंगे। उक्त लिखित परीक्षा की अवधि कुल 01 घंटे की होगी तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित होगा, जिसमें कोई ऋणात्मक मुल्यांकन (Negative mark) नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी, किन्तु लिखित परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में नहीं जोड़े जायेंगे।

टीप :- यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 एवं सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो एक ही प्रथम चरण की लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में अर्जित किए गए, अंक आवेदित सभी पद हेतु विचार में लिए जायेंगे।

प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में, प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा (मेरिट) 01 पद के विरुद्ध 10 गुना अथवा समिति द्वारा नियत अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाइट <https://raipur.dcourts.gov.in> पर अपलोड किया जावेगा।

लिखित/कौशल परीक्षा हेतु बुलावा/सूचना पत्र/प्रवे 1 पत्र कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर की वेबसाइट में अपलोड किये जावेंगे।

कौशल परीक्षा

कौशल परीक्षा के पूर्व या पश्चात दस्तावेज परीक्षण/जांच किया जावेगा। कौशल परीक्षा की तिथि, समय, स्थान एवं निर्देशों की सूचना कार्यालय वेबसाइट <https://raipur.dcourts.gov.in> पर अपलोड

किया जावेगा। कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

1. हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड-3

(अ) कौशल परीक्षा—

उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेसन/श्रुतलेख की प्रत्येक शब्द की त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जायेगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा **उबन्दु लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड टाइपिंग में आयोजित की जावेगी।** आशुलिपि नोटबुक एवं लिप्यांतरण प्रति, दोनों का मूल्यांकन किया जावेगा।

2. सहायक ग्रेड— तीन

(अ) कौशल परीक्षा—

उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक शब्द की त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा **उबन्दु लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड टाइपिंग में आयोजित की जावेगी।** हिंदी कम्प्यूटर टाइपिंग में 5000 डिप्रेशन की गति होना चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)

चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

1. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
2. कौशल परीक्षा में समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयनित किया जावेगा।
3. प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची से पदों की पूर्ति की जा सकेगी।
4. चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड, रायपुर से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा। आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से कराया जावेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

—: महत्वपूर्ण निर्देश :—

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1-7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को जिन्हें, नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् उनका पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

5. चयन प्रक्रिया के संबंध में चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
6. उपरोक्त भर्ती/नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
7. यह विज्ञापन बिना किसी कारण बताए, किसी भी समय निरस्त या स्थगित किया जा सकेगा।
8. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
9. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://raipur.dcourts.gov.in> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा कर एवं स्वहस्ताक्षरित कर, प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
10. लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित एवं कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
11. चयन परीक्षा के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जावेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात केवल 03 माह की अवधि तक ही जानकारी प्रदान की जावेगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पूर्व तथा पश्चात् कोई भी सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

रायपुर -
दिनांक-23.07.2026


 अध्यक्ष,
 भर्ती एवं नियुक्ति समिति,
 जिला एवं सत्र न्यायालय,
 रायपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
(हिन्दी स्टेनोग्राफर-ग्रेड-3/सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित नवीनतम
पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो, नाम एवं दिनांक
सहित

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :
3. लिंग- पुरुष संकेतक-1, महिला संकेतक-2 ☐
4. पिता/पति का नाम :
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
(हिन्दी में)
(ब) स्थाई पता :
.....
.....
5. (अ) जन्म तिथि (अंकों में)

--	--	--	--	--	--	--	--

(शब्दों में) :
- (ब) दिनांक 01/01/2026 को आयु :- वर्ष माह दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर :
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं ☐
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)?
9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/ ☐
अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

11. क्या आवेदक विकलांग है ? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत

:.....

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं ? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण

पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. क्या आप विवाहित हैं? हाँ/नहीं

15. क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है? हाँ/नहीं
यदि हाँ तो स्थिति

16. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

23. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

प्रमाण पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं।
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उनमें कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वमेव निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर—

नाम एवं पूरा पता—

मोबाईल नं.—

ई-मेल—